प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ।

संचिका संख्या.–V (ग)–उ0बी0की0–III/ 4123/ कृषि, पूर्णियाँ दिनांक :– 02/11/22

कार्यालय आदेश

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के निदेशानुसार प्रमण्डल अंतर्गत थोक/ खुदरा उर्वरक विक्रेता स्तर पर उर्वरकों के मूल्य, कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं जीरो टॉलरेंश के सफल कार्यान्वयन के उद्देश्य से उर्वरक बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के बिक्री एवं प्राप्ति के गहन जाँच/ उर्वरक ढुलाई वाहनो की जाँच हेतु जिलावार निम्नलिखित रुप से छापामारी दल का गठन किया जाता है :–

क्र०	छापामारी दल सं0	छापामारी दल के पदाधिकारी का पदनाम	कार्यक्षेत्र
1	1	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, बनमनखी सहायक निदेशक, रसायन, पूर्णियाँ	कटिहार सम्पूर्ण जिला
2	2	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, किशनगंज सहायक निदेशक, रसायन, किशनगंज सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण, किशनगंज	अररिया सम्पूर्ण जिला
3	3	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, कटिहार अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, बारसोई सहायक निदेशक, रसायन, कटिहार	किशनगंज सम्पूर्ण जिला
4	4	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, अररिया अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, फारबिसगंज सहायक निदेशक, रसायन, अररिया	पूर्णियाँ सम्पूर्ण जिला

निरीक्षण दल द्वारा प्रतिष्ठान में निरीक्षण/छापामारी के क्रम में निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है–

1. प्रतिष्ठान के अनुज्ञप्ति/ विपणन प्राधिकार पत्र की जाँच।
2. भण्डार पंजी, बिक्री पंजी, नगद पत्र एवं इससे संबंधित कागजातों की जाँच।
3. भण्डार पंजी के अनुसार गोदाम का भौतिक सत्यापन।
4. नमूना संग्रहण।
5. प्रतिष्ठान के क्रियाकलापों की जाँच एवं अन्यान्य।
6. खुदरा विक्रेता का POS मशीन की जाँच।
7. खुदरा विक्रेता के भण्डार पंजी से POS के अनुसार गोदाम का भौतिक सत्यापन।
8. प्रतिष्ठानों के बिक्री पंजी के आधार पर उर्वरकों का अत्यधिक उठाव से संबंधित ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों से फीडबैक प्राप्त करना एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
9. जाँच दल द्वारा संबंधित जिला में रात्रि गश्ती करते हुए उर्वरक लदे वाहनो की जाँच सप्ताह में दो दिन करना।

अतः दल के सभी सदस्यो को निदेश दिया जाता है कि समन्वय स्थापित कर **अविलम्ब थोक/ उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों** पर छापामारी /निरीक्षण करते हुए तत्संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी/ संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के ई–मेल jda-prn.bih@gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। **अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संबंधित जिला के उर्वरक निरीक्षक उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 मे निहित प्रावधान के आलोक में नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा– 7 के अधीन उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।**

2/11/22

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ

Ram

ज्ञापांक 4123 कृषि, पूर्णियाँ दिनांक :– 02/11/22

प्रतिलिपि :– छापामारी दल के सभी सदस्यो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2/11/22

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ

ज्ञापांक 4123 कृषि, पूर्णियाँ दिनांक :– 02/11/22

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/11/22

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ

ज्ञापांक 4123 कृषि, पूर्णियाँ दिनांक :– 02/11/22

प्रतिलिपि :– पुलिस आरक्षी अधीक्षक, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त जाँच दल को छापामारी/रात्रि गश्ती हेतु आरक्षी बल उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

2/11/22

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ

ज्ञापांक 4123 कृषि, पूर्णियाँ दिनांक :– 02/11/22

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/11/22

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ